राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्नी / भवर

569/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31/12/2021 की प्रति के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30/08/2019 से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31/12/2021 को अन्तिम निस्तारण किया जा चूका है जिससे यह अपील सारहीन हो गयीं है, अत: अपील ख़ारिज फरमाई जावे। इस सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31/12/2021 तथा अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 30/08/2019 के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 218/2019 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31/12/2021 को अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है जिससे अन्तरिम आदेश के विरुद्ध यह अपील सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।	

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)